ायालय सहायक कलक्टर बाप केम्प कानसिंह की सिड
पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र कुमार डांगा (आर.ए.एस.)
संख्या :– 119/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
त्र जगमालसिंह जाति राजपुत लमसिंह की सिड तह. बाप पुर		1 पदमसिंह पुत्र धूडसिंह जाति राजपुत निवासी मालमसिंह की सिड तह. बाप 2 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे बैक शाखा कानसिंह की सिड तह. बाप 3 श्रीमान तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी स्वंय उपस्थित
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 स्वंय उपस्थित

दिनांक :–

निर्णय

ली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा–2017 केम्प कानसिंह की सिड
वादी के वाद का सार संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 की
ी भूमि खसरा नंबर 53 मीन वर्तमान खसरा नंबर 53/7 रकबा 72 बीघा भूमि
कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड में स्थित है। प्रतिवादी संख्या
खातेदारी की उक्त भूमि खसरा नंबर 53 मीन वर्तमान खसरा नंबर 53/7 रकबा
भूमि में से 5 बीघा भूमि वादी को जरिये पंजिबद्व विकय पत्र के दिनांक
997 को बैचान कर दी थी और उसी दिन मौके पर चल कर प्रतिवादी संख्या 1 ने
ब्जा भी सुपुर्द कर दिया था। वादी उक्त भूमि पर खरीद के दिन से आज दिन
र कब्जा काश्त है। वादी ने उन्हीं दिनों उक्त विकय पत्र की प्रति पटवारी हल्का
थी। लेकिन पटवारी हल्का ने उक्त विकय पत्र के आधार पर वादी के पक्ष में
ण नहीं भरा और उक्त भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज
ादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज उक्त सम्पूर्ण भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 के पास
दी और उक्त भूमि रहन होने से वादी के नाम उक्त भूमि माफिक विकय दर्ज नहीं
इसलिए वादी को ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नंबर 53 मीन वर्तमान खसरा
7 रकबा 72 बीघा भूमि में से माफिक विकय पत्र के 5 बीघा भूमि का खातेदार
घोषित किया जावे जिस हेतु यह वाद पेश है।

किया और माफिक विकय पत्र के वादी के नाम 5 बीघा भूमि दर्ज किये जाने का किया। और वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि वाद वादीगण स्वीकार होने के शेष रही भूमि पर सम्पूर्ण केसीसी की राशी अदा कर दूँगा। प्रतिवादी संख्या 2 स्वंय ये लेकिन उनकी और से लिखित में कोई उजर ऐतराज पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी 3 ने स्वंय उप. होकर जबाब पेश किया कि माफिक विकय पत्र के वादी का नाम व रेकर्ड में दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली में अभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का लोकन किया गया। बाद बहस मनन व अवलोकन में पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने नी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 53 मीन वर्तमान खसरा नंबर 53/7 रकबा 72 बीघा मे बीघा भूमि में से 5 बीघा भूमि वादी को जरिये पंजीबंद्व विकय पत्र के दिनांक 3/01/1997 को बेचान कर दी थी और मौके पर वादी को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया ा। इस की पुष्टि वाद पत्र के साथ पेश पंजिबंद्व विकय पत्र 28/01/1997 की प्रति से होती है। इसी तथ्यों को प्रतिवादी संख्या 1 ने भी स्वीकार किया है। वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 53/7 मौजा कानसिंह की सिड में कय की गई भूमि रकबा 5 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। वादी ने अपने वाद को तथ्य एंव दस्तावेजात से साबित किया है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार योग्य होने स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खसरा नंबर 53 मीन वर्तमान खसरा नंबर 53/7 रकबा 72 बीघा भूमि में से माफिक विकय पत्र के वादी को 5 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश की पालना कर राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर निर्णय की पालना करे। डिकी पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.5.17 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 केम्प कानसिंह की सिड अटल सेवा केन्द्र में सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार डागा)
सहायक कलक्टर
राजस्व लोक अदालत-
बाप (जोधपुर)